(2)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-454RAAJodhpur2023-212RTA225 Vijaykishan Vs Nenaram etc

विजयकिशन पुत्र नैनाराम जी, जाति जाट, निवासी- ग्राम खेजड़ली कलां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. नैनाराम पुत्र स्व श्री कालूराम, जाति जाट, निवासी- ग्राम खेजड़ली कलां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
02. श्रीमती भंवरी देवी पुत्री नैनाराम, पत्नी गंगाराम जी, निवासी- भाटो की ढाणियां, ग्राम बिसलपुर, जिला जोधपुर।
03. श्रीमती ममता देवी पुत्री नैनाराम, पत्नी भागीरथ जी, निवासी- महादेव नगर, बनाड़ केन्ट रेलवे स्टेशन के सामने, एच.पी. गैस गोदाम के पास बनाड़, जोधपुर।
04. श्रीमती अणची देवी पत्नी नैनाराम जाति जाट, निवासी- ग्राम खेजड़ली कलां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
05. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2023 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/2021 विजय किशन बनाम नैनाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री आर.के. रावल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री बाबुलाल गोरा, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक से चार
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या पांच

नि र्ण य

दिनांक : 04 नवंबर 2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/2021 अनवान विजय किशन बनाम नैनाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 18 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 210 रकबा 24.12 बीघा, खसरा नं. 502 रकबा 38.06 बीघा ग्राम खेजड़ली कलां तहसील लूणी के संबंध में धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट अपीलांट के दादा स्व. कालूराम पुत्र स्व. जरूप जी के नाम दर्ज रहने से अपीलांट की पैतृक पुश्तैनी भूमि है, जिसमें अपीलांट का जन्म से अधिकार है। स्व. कालूराम के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी उनके दोनो पुत्र नैनाराम एवं सुखराम के नाम दर्ज हुई। उपलब्ध अभिलेख से भलीभांति साबित है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी भूमि है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो निर्धारक बिंदुओं को बखूबी अपने पक्ष में साबित किया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। रेस्पोडेंट्स आलौच्य आदेश की आड़ में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त आराजी को आगे से आगे हस्तांतरण करने पर आमादा है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को निरस्त किया जावे एवं अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में चाहा गया अनतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की खातेदारी की भूमि है। अपीलांट रेस्पोडेंट संख्या एक का पुत्र है, जिसने रेस्पोडेंट संख्या एक को घर से बाहर निकाल दिया है। रेस्पोडेंट संख्या एक को अपने नाम दर्ज भूमि का उपयोग-उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में न होकर रेस्पोडेंट्स के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2015-2018 ग्राम खेजड़ली कलां तहसील जोधपुर के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 210 रकबा 76 बीघा 2 बिस्वा (तत्कालीन रकबा) एवं खसरा नं. 502 रकबा 38 बीघा 6 बिस्वा अपीलांट के दादा कालू पुत्र जेरूप के नाम दर्ज होने से प्रथमदृष्टया वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आराजी अपीलांट की पुश्तैनी भूमि प्रतीत होती है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत खातेदारी घोषणा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी में निहित उसके पुश्तैनी हिस्से को आगे हस्तांतरित कर दिया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होना संभावित है। न्याय हित में वादग्रस्त आराजी में अपीलांट के पुश्तैनी हक-हिस्से को संरक्षित किया जाना उचित है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है।

चूंकि रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन अपीलांट की सगी बहने है, जिन्हें रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा उन्हें 1/4-1/4 हिस्से की भूमि दान की है। रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन को उक्त दान की गई भूमि के उपयोग-उपभोग से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट के पुश्तैनी हिस्से के अलावा शेष रही भूमि से रेस्पोडेंट संख्या एक व चार को अपने जीवन-निर्वाह हेतु उपभोग-उपयोग किये जाने की छूट दिया जाना भी न्यायोचित है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/2021 अनवान विजय किशन बनाम नैनाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक व चार को विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद के निस्तारण तक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 210 रकबा 3.9821 हैक्टेयर, खसरा नं. 502 रकबा 6.1998 हैक्टेयर में अपने नाम दर्ज 1/4 - 1/4 भाग भूमि के आधे हिस्से का बेचान/हस्तांतरण नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर